संख्या-9/2020-50/58-2020-169/2018टी0सी0

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 28 फरवरी, 2020**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय अनुपूरक मांग(दिसम्बर 2019) के माध्यम से लेखाशीर्षक-2406-02-112-06-फलदार पौधों का रोपण की योजनान्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-500.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-80/बजट/2019-20, दिनांक 08.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय अनुपूरक मांग(दिसम्बर 2019) के माध्यम से फलदार पौधों का रोपण की योजनान्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये पांच करोड़) मात्र को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2406-वानिकी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112-सार्वजनिक उद्यान-06-फलदार पौधों का रोपण		
02-मजदूरी	162.00	162.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	338.00	338.00
योग-	**500.00**	**500.00**

(रूपये पांच करोड़ मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन, वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1019/बी-1-170/10-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जाय।

(5) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(6) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो, तो वित्त नियंत्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) योजनान्तर्गत भौतिक सत्यापन का उत्तरदायित्व निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान का होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112-सार्वजनिक उद्यान- 06- फलदार पौधों का रोपण के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश सं0-यू0ओ0-ई-1-175/दस-2020 दिनांक 26-02-2020 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2020-50(1)/58-2020. तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in